

ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जारी



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला: **बाँदा**
 तहसील: **बबेरू**
 आवेदन क्र०: **231700030068102**
 प्रमाणपत्र क्र०: **402233013167**

जारी दिनांक: 23/10/2023

प्रमाणित किया जाता है कि:
 पुत्र/पुत्री
 माता का नाम
 निवासी
 ग्राम
 तहसील
 जिला

दीपक पटेल/Deepak Patel
मनोज कुमार
अमरावती पटेल
0,अहार
AHAR
बबेरू
बाँदा



उत्तर प्रदेश राज्य की कुर्मी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **दीपक पटेल/Deepak Patel** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, में आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास इनके अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: **प्रकाश चंद्र, सीएससी गवर्नंस जन सेवा केन्द्र**
 पद: **प्रकाश चंद्र, केन्द्र प्रभारी**
 स्थान: **6, Baberu (NP) - Ward**
No.6, बबेरू, बबेरू, बबेरू
 दिनांक: **24/10/2023**
हस्ताक्षर एवं मुहर

SANTOSH KUMAR KUSHWAHA

Digitally Signed by
 SANTOSH KUMAR KUSHWAHA
 O=Personal, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
बबेरू, बाँदा
दिनांक: 23/10/2023

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।